झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
षष्ठम् (मानसून)सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 28.07.2016 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्रीमती जोबा मांझी एवं डॉ0 अनिल मुर्मू स0वि0स0	पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची ने अपने पत्रांक- 5491, दिनांक- 03 जून 2016 द्वारा सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के अमूल रंजन सिंह, प्रभारी निदेशक, रिनपास, राँची की नियुक्ति अवैध ढंग से किये जाने के साथ-साथ रिनपास में वित्तीय अनियमितता, किये जाने पर प्रथम दृष्ट्या संज्ञेय अपराध के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए विन्दुवार मंतव्य/प्रतिक्रिया देने हेतु पत्राचार किया है, परन्तु इतने दिनों बीत जाने के बावजूद अभी तक विभाग द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं ली गयी है। अतः इतने बड़े विषय पर सरकार द्वारा यथाशीघ्र अग्रेतर कार्रवाई लेने हेतु सदन का ध्यानाकृष्ट कराना चाहते है।	स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण
02-	सर्वश्री भानू प्रताप शाही, प्रकाश राम एवं श्री अरूप चटर्जी स0वि0स0	दिनांक- 03.02.2016 से झारखण्ड राज्य में लोकायुक्त जैसा महत्वपूर्ण पद रिक्त है, जिससे सरकारी कार्यकलाप एवं सरकारी कर्मियों के विरूद्ध की जा रही शिकायत की जन-सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है तथा शिकायत कर रहे हमारे राज्य के सम्मानित जनता असहाय एवं ठगा महसूस कर रहे हैं। अतः लोकायुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद पर अविलम्ब किसी सक्षम सेवानिवृत न्यायमूर्ति की नियुक्ति कराने के लिए सदन के माध्यम से हम सभी सरकार का ध्यानाकृष्ट कराते हैं।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
03-	श्रीमती गंगोत्री कुजूर स0वि0स0	राज्य में विभिन्न चिटफंड कंपनियों द्वारा लुभावने वायदे कर के आम नागरिकों से करोड़ो रूपयों की वसूली की जा रही है। बाद में ऐसे कंपनियाँ आम नागरिकों का पैसा लेकर भाग जाती है। इसके कारण नागरिकों को काफी नुकसान होता है। साथ ही इनमें काम करने वाले कर्मचारियों और एजेंटों को भी काफी परेशानी होती है। इस दिशा में गत दिनों मुख्य सचिव झारखण्ड सरकार ने 12 मई को बैठक करके अधिकारियों को निर्देश भी दिये है, लेकिन उसका कोई कारगर प्रभाव अब तक नहीं दिख सका है। उक्त आलोक में फर्जी तरीके से संचालित ननबैंकिग कंपनियों की कार्यशैली एवं गतिविधियों की गहन जाँच करने हेतु स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने हेतु मैं सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहती हूँ।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन
04-	श्री साधु चरण महतो, श्रीमती गीता कोड़ा एवं श्री लक्ष्मण टुडू स0वि0स0	सरायकेला-खरसाँवा जिला के गम्हारिया प्रखण्ड अन्तर्गत खरकई नदी के गांजिया घाट पर मौजूदा पुल के टूटने के बाद बन रहे नया पुल का निर्माण कार्य वर्षो से अधूरा पड़ा है। विदित् हो कि उक्त रास्ते से गम्हारिया, राजनगर एवं सरायकेला प्रखण्ड के हजारों मजदूर/श्रमिक रोज आदित्यपुर एवं गम्हारिया में स्थित कम्पनियों में काम करने तथा अन्य कामों के लिए आना-जाना करते है। इतनी महत्वपूर्ण पुल के निर्माण कार्य में विभाग एवं संवेदक द्वारा लापरवाही बरतना काफी आश्चर्यजनक बात है। विगत 3-4 सालों में पुल का निर्माण कार्य काफी नगण्य रही है। जब कि जनहित में उक्त पुल का निर्माण कार्य अविलम्ब पूरा कराये जाने की आवश्यकता है। अतः हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान उक्त पुल के निर्माण में लापरवाही बरतने वाले विभागीय पदाधिकारी एवं संवेदक पर कार्रवाई करते हुए पुल का निर्माण कार्य अविलम्ब पूरा कराये जाने की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहते है।	ग्रामीण विकास

05-	सर्वश्री शिवशंकर उराँव, बिरंची नारायण एवं प्रो0 जय प्रकाश वर्मा स0वि0स0	झारखण्ड सरकार राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से कार्यालय पत्रांक- 04/स0भू0 (दिशा-निर्देश)-95/2016, 2074/सं0 दिनांक- 13.05.2016 को राज्य के सभी उपायुक्तों को एक विस्तृत दिशा-निर्देश पत्र प्रेषित किया गया है। जिसमें अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच करने एवं अवैध जमाबंदी को रद्द की बात कही गई है। साथ ही अपर समाहर्त्ता के अधिकारों एवं उसके दायित्वों के सम्बन्ध में भी उसमें दिशा निर्देश है। जमाबंदियों का सत्यापनोपरांत कार्रवाई के तरीके और कार्यो के निष्पादन हेतु समयसीमा भी निर्धारित है। निश्चय ही यह सरकार का प्रशंसनीय कदम है। परन्तु गौर करने वाली बात यह है कि भूमि से सम्बंधित मामलों के सम्बन्ध में ऐसे पत्र अथवा सर्कुलर जारी करने के लिए राज्य का मुख्य सचिव कानूनन अधिकृत नहीं है बल्कि ऐसे पत्र केवल मेंबर, बोर्ड ऑफ रिविन्यू ही जारी कर सकता है। उद्धत मुख्य सचिव के पत्र के आलोक में अपर समाहर्त्ता, गुमला द्वारा जिला के मझियस, जिरात, बेठखेता जमीन, जो भूतपूर्व जमींदारों के विशेषाधिकार प्राप्त जमीन है, जिसे ऐसा भू-धारक स्वतंत्र रूप से सेल डीड अथवा मोरगेज के माध्यम से किसी को भी हस्तांतरित करने का अधिकार रखता है। ऐसी भूमि के खरीद-बिक्री एवं निबंधन पर रोक लगा दी गई है। जिससे राजस्व आमद में कमी तो हो ही रही है साथ-साथ क्षेत्र में सरकार का प्रति आक्रोश फैल रही है। यही नहीं, अपर समाहर्त्ता के द्वारा मुख्य सचिव से शिकायत करने का भय दिखाकर अधीनस्थ प्रखंडों के अंचलाधिकारियों/कर्मचारियों को ऐसे भू-धारकों के विरूद्ध नोटिश भेजने के लिए विवश किया जा रहा है। उद्धत पत्र निर्गत होने के पहले ही कथित पदाधिकारी ने अपने समाहरणालय (राजस्व शाखा) से अवर निबंधक, जिला गुमला को प्रेषित पत्रांक- 300(ii)/स0 दिनांक-13.03.2016 द्वारा मझियस, जिरात एवं बेटखेता जमीन खरीद-बिक्री व निबंधन पर रोक लगा दी है। जबकि ऐसी रोक लगाने का अधिकार अपर समाहर्त्ता को नहीं है। इस बावत उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत संचिका में बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा- 4 (a) और 4 (h) की गलत व्याख्या कर जिला उपायुक्त को भी मिसलीड	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

		कर कठघरे में खड़ा कर दिया है। इससे प्रतीत होता है कि अपर समाहर्त्ता, जिला गुमला का व्यक्तिगत रूप से ऐसी भूमि एवं भू-धारकों के प्रति विशेष रूचि एवं निहीत स्वार्थ है और नोटिश भेजकर भयादोहन कर आर्थिक दोहन से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए आसन से मेरा अनुरोध है कि:- 1. मझियस, जिरात, बकास्त व बेटखेता भूमि की खरीद-बिक्री पर अवैध रूप से लगाए गए प्रतिबंध को तत्काल हटाया जाए, ताकि सरकारी कोष में आमद बढ़े। 2. भू-राजस्व कानूनों की जानकारी नहीं रखने वाले ऐसे अक्षम अपर समाहर्त्ता को गुमला जिला से तत्काल हटाया जाए, यही नहीं अनुसूचित क्षेत्र वाले जिले से बाहर ही पद स्थापित किया जाए और, 3. सदन के सदस्यों की एक समिति गठित कर अपर समाहर्त्ता जिला गुमला के कृत्यों की गहनता से जाँच कराकर ऐसे दोषी पदाधिकारी पर कानूनी कार्रवाई हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते है।

राँची,
दिनांक- 28 जुलाई, 2016 ई०।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-ध्या० एवं अना०प्र०-20/2016-2914/वि० स०, राँची, दिनांक-27/07/16

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा० राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/ कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग /गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/7/16

(एस० शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-ध्या० एवं अना०प्र०-20/2016-2914/वि० स०, राँची, दिनांक- 27/07/16

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

27/7/16

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

27/07/16